अनुदान संख्या 38 - व्यय विभाग
GRANT No. 38–DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	41,86,00	58,96,00	50,76,69	–8,19,31
पूरक	Supplementary	17,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,91,36
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		6,00,00	3,00,00	–3,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (819.31 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1710.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.819.31 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary grants of Rs.1710.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	3164.00	4045.05	3933.94	–111.11
पू.	S.	995.00			
पु.	R.	–113.95			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	1022.00			
पू.	S.	715.00	1159.59	1142.75	–16.84
पु.	R.	–577.41			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण - सिविल लेखाकरण विभाग (सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान) में प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 364.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 34.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 398.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 70.11 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) नवीकरण परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2070" – "Training - Training Centre in the Civil Accounting Department (Institute of Govt. Accounts & Finance)" - the original provision of Rs.364.00 lakhs was augmented to Rs.398.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.34.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.70.11 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of renovation projects.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - व्यय विभाग'' - 3164.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 995.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4159.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि ,जो चिकित्सा व्यय के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने और कार्यालय व्यय के अंतर्गत अधिप्राप्तियों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण 225.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2052" – "Secretariat - Department of Expenditure" - the original provision of Rs.3164.00 lakhs was augmented to Rs.4159.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.995.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.225.06 lakhs- due to less claims received under medical expenses and non-materialisation of procurement under office expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) ''महालेखा नियंत्रक कार्यालय का आधुनिकीकरण'' - 35.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु.

(B) Major Head "2070" – "Other Expenditure" -

(a) "Modernisation of Office of Controller General of Accounts" – the original provision of Rs.35.00 lakhs was

का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 85.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सलाहकार की कुछ सेवाओं में कटौती किए जाने के कारण 18.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

augmented to Rs.85.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18.46 lakhs – due to curtailment of certain services of the consultant.

(ख) ''नई पेंशन स्कीम के लिए एन एस डी एल को सेवा प्रभार'' - 631.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं, तथापि, जो एन एस डी एल से केवल दो क्वार्टरों के लिए दावे प्राप्त होने के कारण 292.22 रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(b) "Service charges to NSDL for New Pension Scheme" - funds of Rs.631.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.292.22 lakhs - due to receipt of claims from the NSDL for two quarters only.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण - विशेष श्रेणी राज्यों के अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण'' - 170.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिभागियों को कम संख्या में नामित किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" – "Training – Training in Financial Management to Officers from Special Category States" – saving of Rs.170.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to nomination of less number of participants.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4070'' अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	600.00	300.00	300.00	. .
पु.	R.	–300.00			

(I) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन सोसाइटी संस्थान के द्वितीय चरण का विकास'' के अंतर्गत 300.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधारभूत भवन परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Training – Second Phase Development of National Institute of Financial Management Society" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to late finalisation of the infrastructure building project.